पत्रांक अ0नि0(11)03 / 2019 / प्रशिक्षण 364/

(55)

अतिआवश्यक

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

प्रेषक,

प्रणव कुमार, भा0प्र0से0
सचिव
गृह विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
सभी लोक अभियोजक
सभी मुख्य अभियोजक / प्रभारी मुख्य अभियोजक
सभी विशेष लोक अभियोजक
बिहार।

पटना,दिनांक....10/2/26

विषयः– **राज्य में नये आपराधिक कानून लागू होने के पूर्व एवं पश्चात् दर्ज काण्डों के त्वरित विचारण हेतु विधिक प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिसम्बर, 2025 तक राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विचारण हेतु कुल 18,34,393 वाद लंबित है, जिसमें अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित काण्डों की संख्या–9,02,363 है। विदित हो कि विभिन्न जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कुल इश्तेहार–7,374, कुर्की–5,781 तामिला हेतु लंबित है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भा0द0वि0, 1860 / भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन किये जाने से न सिर्फ अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित काण्डों में कमी आयेगी बल्कि निष्पादन दर में भी वृद्धि होगी। विचारण की प्रक्रिया में गति लाने तथा लंबित काण्डों के निष्पादन दर में वृद्धि हेतु निम्न विधिक प्रावधानों का अनुपालन कराया जाय–

1. वैसे सभी साक्षियों का जिनके साक्ष्य के आधार पर अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया जाता है उन सभी साक्षियों का BNSS, 2023 के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या–30 में दिये गये प्रपत्र में बाण्ड लेने तथा उसे काण्ड दैनिकी में संलग्न करने हेतु सभी अनुसंधानकर्त्ता को निदेशित किया जाय। न्यायालय में यदि गवाहों द्वारा यह साक्ष्य दिया जाता है कि पुलिस द्वारा मेरा बयान दर्ज नहीं किया गया है, तो अभियोजन केस डायरी में संलग्न बंधपत्र के आधार पर पुलिस द्वारा दर्ज किये गये बयान को न्यायालय में साबित किया जा सकता है। (BNSS, 2023 की धारा–190(2))
2. अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से एकत्र किये गये साक्ष्य का केस डायरी में "Sequence of Custody" अंकित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने से न्यायालय में अभियोजन के साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है, जिसका केस के फलाफल पर प्रभाव पड़ सकता है। (BNSS, 2023 की धारा–193(3)(h)(i))

(54)

3. नये आपराधिक कानून के लागू होने के पूर्व के मामलों में विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध Cr.P.C की धारा–82 के अन्तर्गत निर्गत विधिक आदेशिकाओं का पुलिस द्वारा तामिला करा लिया गया हो और अभियुक्त उपस्थित न हो रहा हो तो अनुपस्थित अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए न्यायालय से अनुरोध करने हेतु पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया जाय। यदि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा फरार घोषित कर दिया गया है तो अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में विचारण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु वाद के संबंधित साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय, ताकि अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभियोजन द्वारा न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके।

(भा0द0वि0 की धारा–174A, द0प्र0स0 की धारा–299)

4. नये आपराधिक कानून के अन्तर्गत दायर वादों में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को Proclaimed offender घोषित करने हेतु निर्गत आदेशिकाओं का ससमय तामिला कराया जाय, ताकि अभियुक्त के विरूद्ध Trial in Absentia चलाया जा सके।

(BNSS, 2023 की धारा–356)

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध BNSS, 2023 की धारा–84 के अन्तर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निर्गत किया गया हो और अभियुक्त निर्धारित तिथि और समय को न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है, इस आशय का तामिला पुलिस द्वारा करा दिया गया हो, तो BNSS, 2023 की धारा–209 के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध सभी संबंधित साक्ष्य यथा–तामिला प्रतिवेदन आदि के साथ FIR दर्ज किया जाय। (BNSS, 2023 की धारा–215, BNS की धारा–209)

6. यदि अभियुक्त पर आरोप गठन कर दिया गया हो और वह जमानत पर हो तथा जमानत पत्र तथा बंधपत्र का अनुपालन करने में विफल होता है तो अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में BNSS, 2023 की धारा–269 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जाय। यदि वह नये कानून लागू होने के पूर्व का हो तो भा0द0वि0 की धारा–229A के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई किया जाय।

अतः निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त विधिक कार्रवाई का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि विचारण की प्रक्रिया में तेजी के साथ–साथ वादों का त्वरित निष्पादन कराया जा सके।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (11)03 / 2019 / प्रशिक्षण 364 / दिनांक 10/2/26

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिदेशक, बिहार / सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव। 10/2/26